पत्रांक–2/एम–88/13–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक : – 26/4/2016

विषयः राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत चिकित्सकों एवं दंत चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं०–593(2) दिनांक–27.05.14 द्वारा राज्य में संविदा पर नियुक्त सामान्य चिकित्सकों के लिए अनुबंध की राशि ₹ 41,000/– तथा सभी विधा के विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए ₹ 44,000/– प्रतिमाह निर्धारित किया गया था।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं०–816(2) दिनांक–19.07.2011 द्वारा संविदा पर नियुक्त दंत चिकित्सकों के लिए अनुबंध की राशि सामान्य चिकित्सकों की भाँति ₹ 30,000/–प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। सामान्य चिकित्सकों के लिए अनुबंध की राशि स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं०–593(2) दिनांक–27.05.14 द्वारा ₹ 30,000/– से बढ़ाकर ₹ 41,000/– कर दिया गया था, परन्तु दंत चिकित्सकों के मानदेय की राशि में बढ़ोतरी नहीं हो सकी थी।

सम्यक विचारोपरान्त सरकार के द्वारा संविदा पर नियुक्त सामान्य चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं दंत चिकित्सकों के अनुबंध (मानदेय) की राशि को निम्नानुसार पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया जाता है–

(क) सामान्य चिकित्सक – ₹ 44,000/– प्रतिमाह।
(ख) दंत चिकित्सक – ₹ 44,000/– प्रतिमाह ।
(ग) विशेषज्ञ चिकित्सक – ₹ 48,000/– प्रतिमाह।

यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से लागू होगा ।

प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

"आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित पदाधिकारी को भेज दी जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(अनिल कुमार)
सरकार के उप सचिव।

D>2016>Sankalp 2016

ज्ञापांक–2/एम–88/2013– 443 (2) पटना, दिनांक 26/04/ 2016

प्रतिलिपि :– प्रभारी, ई गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकरी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी निदेशक, विशिष्ट अस्पताल/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी सिविल सर्जन/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी–2,3,7,9,10 एवं 17 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26.4.16

सरकार के उप सचिव।